न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः विकास सीतारामजी भाले, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 70 / 2017 अपील (RCMS/2017/0133)
पंजीयन दिनांक — 13.06.2017
निर्णय दिनांक — 24.12.2019

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, गिर्वा

—अपीलान्ट

बनाम

1. श्री कृष्ण कुमार मीणा पिता पुरणराम मीणा, निवासी दिलाई, तहसील झुंझुनु जिल झुंझुनु।
2. मैसर्स वर्धा इन्टरप्राईजेज प्रा.लि., 103ए—शान्तिभवन, 2ए मलाड मुम्बई, स्थानीय कार्यालय 301—304 मनुश्री का बिल्डिंग, बोहरा गणेशजी मंदिर के पास, उदयपुर।
3. सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर।
4. अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, उदयपुर।

—रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितिः—

1. श्री योगेन्द्र दशोरा — वकील अपीलार्थी (राजकीय अभिभाषक)
2. श्री पुरणमल धाकड़ — वकील प्रत्यर्थी—1
3. श्री सम्पतलाल बोहरा — वकील प्रत्यर्थी—2
4. श्री एन.एस.चुण्डावत — वकील प्रत्यर्थी—3
5. श्री विनित शर्मा, अधिशाषी अभियन्ता — प्रत्यर्थी संख्या—4 स्वयं

आवेदन द्वारा श्री कृष्ण कुमार मीणा में प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा पारित आदेश अन्तर्गत धारा—90बी दिनांक 23.06.2010 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा—90बी(7) भू—राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 24.12.2019

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा पारित आदेश अन्तर्गत धारा—90बी दिनांक 23.06.2010 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है—

- राजस्व ग्राम पनवाड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 510, 511 मी., 512मी., 513, 514 कुल किता 05 रकबा 0.5550 हैक्टेयर भूमि प्रत्यर्थी

संख्या–1 श्री कृष्णकुमार पिता श्री पूरणमल मीणा, निवासी दिलोई, तहसील झुंझुन, जिला झुंझुनु के नाम खातेदारी हक से दर्ज थी। उक्त भूमि/वादग्रस्त स्थल के व्यावसायिक मोटल प्रयोजनार्थ श्री कृष्ण कुमार मीणा पिताश्री पूर्णराम मीणा द्वारा दिनांक 04.01.2010 को नगर विकास न्यास, उदयपुर में आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त भूमि को सर्मपण कर खातेदार श्री कृष्ण कुमार मीणा द्वारा नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर में शपथ पत्र (समर्पण पत्र)/ले आउट प्लान एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किए। मौके पर स्थल के अवलोकनानुसार विवादग्रस्त भूमि का कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किये जाने से उक्त भूमि में निहीत खातेदार के अधिकार एवं हित समाप्त कर भूमि राज्य हित में जरिये अन्तर्गत धारा 90बी के तहत पुनर्ग्रहण आदेश दिनांक 23.06.2010 को प्राधिकृत अधिकारी व सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा पारित किया गया। राज्य सरकार की स्वीकृति एवं जल संसाधन विभाग के पत्र दिनांक 19.05.2010 की टिप्पणी/रिपोर्ट कि ''आवेदित भूमि की आराजी संख्या–510, 511मी., 512मी., 513, 514 उदयसागर की वर्ष 1973 के उच्च बाढ स्तर से उपर स्थित है। अतः उच्च बाढ स्तर से प्रभावित नहीं है'', तहसीलदार, गिर्वा द्वारा उक्त भूमि के डूब क्षेत्र अथवा भराव क्षेत्र के सम्बन्ध तकनीकी रिपोर्ट सिंचाई विभाग से प्राप्त कर संपरिवर्तन के सम्बन्ध में निर्णय किया जाना उचित होने का कथन अभिलिखित किया है। उक्त टिप्पणी के आलोक में आदेश दिनांक 23.06.2010 पारित किया गया एवं पश्चात नगर विकास न्यास द्वारा दिनांक 24.09.2010 को क्षेत्रफल 54090 वर्गफीट व्यावसायिक मोटल प्रयोजनार्थ पट्टा जारी किया। मैसर्स वर्धा एन्टरप्राईजेज ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.03.2011 से उक्त भूमि क्रय की तथा उक्त भूमि का विक्रय वर्धा एन्टरप्राईजेज को होने से नगर विकास न्यास द्वारा दिनांक 07.04.2011 को नामान्तरकरण किया गया।

- प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा पारित आदेश अन्तर्गत धारा–90बी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 दिनांक 23.06.2010 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर में अपील दिनांक 22.03.2016 को प्रस्तुत की गई। यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर से अभिलेख मंगवाया गया।

अपीलार्थी की अपील पर रेस्पोडेंटस् द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, परन्तु विभिन्न तकनीकी बिन्दुओं पर अपनी आपत्तियां प्रस्तुत की। दिनांक 17.12.2019 को उभय पक्ष विद्वान अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थी संख्या–4 स्वयं उपस्थित जिनकी सभी प्रार्थना पत्रों एवं प्रारम्भिक आपत्ति पर विस्तृत बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि प्रकरण में धारा–90बी उपधारा (1) के तहत कार्यवाही की गई तो पीड़ित पक्षकार उप धारा–7 के तहत संभागीय आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त में

संधारण योग्य है। अन्य कथन सहित अधिवक्ता अपीलार्थी ने निवेदन किया कि प्रत्यथी संख्या–2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत प्रारम्भिक आपत्ति को सारहीन होने से निरस्त योग्य है। मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र राजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा लोकहित याचिका संख्या–1536/2004 में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 में प्रदत्त निर्देशों एवं राजस्व विभाग के अपील पेश करने के निर्देशों के क्रम में अभिलेखों की छानबीन करने पर दिनांक 25.01.2016 को होने से जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत की है।

विद्वान राजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया कि विवादित भूमि उच्चतम बाढ़ क्षेत्र में होने के बावजुद भी रेस्पोडेंट संख्या–3 द्वारा आलौच्य आदेश पारित किया गया। अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड, उदयपुर द्वारा मौका एवं रेकार्ड की स्थिति देखे बिना आधारहीन एवं गलत तथ्यों के आधार पर उपरोक्त भूमि के व्यवसायिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण हेतु अनापत्ति पत्र जारी कर दी गई, जो त्रुटिपूर्ण है। साथ ही प्रत्यर्थी संख्या–2 वर्धा इन्टरप्राईजेज द्वारा पुर्नग्रहण आदेश की अवहेलना करते हुए बिना किसी सक्षम स्वीकृति के निर्माण कर लिया है, जिससे झील की भराव क्षमता पर विपरित प्रभाव पड़ा है। उक्त आदेश जनहित में भी नहीं है क्योंकि उक्त भूमि उदयसागर झील के किनारे होने से भारी बाढ़ के क्षैत्र में आती है, जिससे भविष्य में भारी जनहानि हो सकती है। ऐसी स्थिति में ग्राम पनवाडी की उपरोक्त वादग्रस्त आराजी न. 510, 511मी, 512मी, 513 एवं 514 कुल किता 5 रकबा 0.5550 है. के मोटल व्यवसायिक प्रयोजनार्थ किये गये रूपान्तरण के पुर्नग्रहण आदेश दिनांक 23.06.2010 निरस्त करने एवं राजस्व रेकार्ड में पूर्व स्थिति कायम के आदेश प्रदान करावें।

विद्वान वकील प्रत्यर्थी संख्या–2 ने लिखित एवं मौखिक बहस में प्रस्तुत किया है कि प्रत्यर्थी सख्या–2 के पूर्वहिताधिकारी व पूर्वाधिकारी श्री कृष्ण कुमार मीणा द्वारा अपनी स्वैच्छा से अपनी खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 510, 511 मी., 512मी., 513, 514 कुल किता 05 रकबा 0.5550 हैक्टेयर भूमि का समर्पण प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया। विवादित भूमि की किसी कभी तालाब पेटा अथवा नदी नाले की नहीं रही है। प्रस्तुत प्रकरण में खातेदार द्वारा अपनी भूमि को समर्पित किया तथा समर्पण करने से पूर्व दो स्थानीय अखबारों में आपत्तियां आमत्रित की गई थी एवं तहसीलदार, गिर्वा द्वारा पत्र दिनांक 12.03.2010 द्वारा विवादित भूमि के डूब क्षेत्र अथवा भराव क्षेत्र में नहीं होने के प्रश्न पर संबंधित तकनीकी विभाग अर्थात सिंचाई विभाग से तकनीकी रिपोर्ट लिया जाकर संपरिवर्तन के सम्बन्ध में लिया जाना उचित माना। जल संसाधन विभाग के पत्र दिनांक 19.05.2010 की टिप्पणी/रिपोर्ट कि ''आवेदित भूमि की आराजी संख्या–510, 511मी., 512मी., 513, 514 उदयसागर की वर्ष 1973 के उच्च बाढ स्तर से उपर स्थित है। अतः उच्च बाढ स्तर से प्रभावित नहीं है''। तदुपरान्त अधीनस्थ न्यायालय नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90बी(3) के तहत आदेश दिनांक 23.06.2010 को पारित किया गया जिससे व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत अपील प्रथम अपीलीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के समक्ष प्रस्तुत की है, प्रस्तुत अपील पोषणीय एवं संधारण योग्य नहीं

है, जिससे प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि धारा 90बी(3) खातेदारी अधिकारों के समर्पण को स्वीकार करते हुए पारित आदेश के विरूद्ध कोई अपील लाई नहीं होती है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी व्यथित पक्षकार नहीं है, अतः उसे अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। जैसा की पूर्ण में वर्णित है, समाचार पत्रों में प्रकाशन उपरान्त तहसीलदार, गिर्वा के कथनोनुसार जल संसधान विभाग से तकनीकी रिपोर्ट प्राप्त कर आलौच्य आदेश पारित किया गया एवं 2010 में ही विवादित भूमि के सम्बन्ध में धारा 90बी(3) के तहत पारित आदेश की अपील पेश करने से पूर्व तहसीलदार, गिर्वा द्वारा खातेदार के बजाय नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के नाम नामान्तकरण स्वीकृत किया गया। यह नामान्तरकरण स्वीकृति का आदेश अन्तर्गत धारा 90बी(3) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 आदेश को पढ़कर ही तहसीलदार, गिर्वा ने दिया तथापिः उक्त नामान्तकरण के 6 वर्ष बाद उनके द्वारा वर्ष 2016 में अपील प्रस्तुत की गई जो स्पष्ट रूप से 6 वर्ष मियाद बाहर है, ऐसे मामलें में मियाद क्षम्य नहीं की जा सकती तथा मयाद के बिन्दु पर भी अपील निरस्त योग्य है। इस साथ तहसीलदार, गिर्वा विबंध के सिद्धान्त से भी प्रभावित है, वह पूर्व में किए गए अपने कथनों से परिवर्तित नहीं हो सकता है, जिनको वह पूर्ण में सत्य साबित कर चुका है।

विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त (RRT 2012(2) P. 1139, RBJ 2012 P. 738, RRT 2013(1) P. 482, RBJ 2010 P. 237, RBJ 2009 P. 279, RRT 2012(1) P. 677, RRT 2011 (2) P. 1068, RRT 2013(1) P. 329, RRT 2006 (1) P. 531, RRT 2011(2) P. 1068, AIR 2011 SC 1237, RRT 2013(2) SC 887, RRD 1995 Raj HC 64, RBJ 2010 Raj HC 289 माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान द्वारा परफेक्ट फ्युचर डवलपर्स प्रा.लि. बनाम प्राधिकृत अधिकारी में निगरानी संख्या–6935/2016/उदयपुर में निर्णय दिनांक 22.08.2019) प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि उपरोक्त विवेचन, प्रारम्भिक आपत्ति एवं तथ्यों के मध्यनजर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावें।

विद्वान वकील प्रत्यर्थी संख्या–1 ने अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या–2 के कथनों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

विद्वान वकील प्रत्यर्थी संख्या–3 ने बहस में प्रस्तुत किया है कि उक्त भूमि को सर्मपण कर खातेदार श्री कृष्ण कुमार मीणा द्वारा नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर में शपथ पत्र (समर्पण पत्र)/ले आउट प्लान एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किए। मौके पर स्थल के अवलोकनानुसार विवादग्रस्त भूमि का कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किये जाने से उक्त भूमि में निहीत खातेदार के अधिकार एवं हित समाप्त कर भूमि राज्य हित में जरिये अन्तर्गत धारा 90बी के तहत पुनर्ग्रहण आदेश दिनांक 23.06.2010 को प्राधिकृत अधिकारी व सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा पारित किया गया। राज्य सरकार की स्वीकृति एवं जल संसाधन विभाग के पत्र दिनांक 19.05.2010 की टिप्पणी/रिपोर्ट कि ''आवेदित भूमि की आराजी संख्या–510, 511मी., 512मी., 513, 514 उदयसागर की वर्ष 1973 के उच्च बाढ स्तर से उपर स्थित है। अतः उच्च बाढ स्तर से प्रभावित नहीं है'', पश्चात नगर विकास न्यास द्वारा दिनांक 24.09.2010 को क्षेत्रफल 54090 वर्गफीट

व्यावसायिक मोटल प्रयोजनार्थ पट्टा जारी किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.06.2010 पूर्णतया विधिक एवं नियमानुसार प्रक्रिया पालन करते हुए पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावें।

हमने विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्तियों एवं तर्को पर मनन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का ध्यानपूर्वक गहनता से अवलोकन कर परिशीलन किया।

प्रकरण में हम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 में धारा–90बी में उल्लेखित निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लेख करना उचित समझते है–

90-B. Termination of rights and resumption of land in certain cases –

(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act and the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Act No. 3 of 1955 where before the commencement of Rajasthan Laws (Amendment) Act, 1999 (Rajasthan Act No. 21 of 1999) any person, holding any land for agricultural purposes in Urbanisable limits or peripheral belt of an urban area , has used or has allowed to be used such land or part thereof, as the case may be, for non-agricultural purposes or, has parted with possession of such land or part therefore, as the case may be, for consideration by way of sale or agreement to sell and/or by executing power of attorney and/or will or in any other manner for purported non-agricultural use, the rights and interest of such person in the said land or holding or part therefore, as the case may be, shall be liable to be terminated and such land shall be liable to be resumed.

(2) Where any land has become liable to be resumed under the provisions of sub-section (1), the Collector or authorized by the State Government in this behalf, shall serve a notice, calling upon such person to show cause why the said land may not be resumed summarily, and among other things, such notice may contain the particulars of the land, cause of proposed action, the place, time and date, where and when the matter shall be heard.

(3) When the tenant or the holder of such land or any person duly authorized by him, as the case may be, makes an application to the Collector or the officer authorized by State Government in this behalf, expressing his willingness to surrender his rights in such land, with the intention of developing such land for housing, commercial, institutional, semi commercial, industrial, cinema or petrol pump purposes or, for the purpose of multiplex units, infrastructure projects or tourism projects or, for such other community facilities or public utility purposes or, as may be notified by the State Government, the Collector or the office authorized by the Statement on his behalf, shall upon being satisfied about the willingness of such person, order for termination of rights and interest of such persons in the said land and order for resumption of such land.

(4) The proceedings in the manner shall be conducted summarily and shall ordinarily be concluded within a period of 60 days from the first date of hearing specified in the notice served under sub-section (2).

(5) Where, after hearing the parties, the Collector or the officer authorized by the State Government in this behalf, is of the opinion that the land is liable to be resumed under sub-section (1), he shall after recording reasons in writing, order for termination of rights and interest of such person in the said land and order for resumption of the said land.

(6) The land so resumed under sub-section (3) and (5) shall vested in State free from all encumbrances and shall be deemed to have been placed at the disposal of the concerned local authority under section 102A of this Act with effect from the date of passing such order.

Provided that the land surrendered under sub-section (3) above, shall be made available to the person, who surrenders the land, for its planned development in accordance with the rules, regulation and by-laws applicable to the local body concerned, for housing or commercial institutional, semi-commercial, industrial, cinema or petrol pump purposes or, for the purpose of multiplex units, infrastructure projects or tourism projects or, for other community facilities or public utility purposes.

(7) The person, aggrieved by the order made under sub-section (5), may appeal to the Divisional Commissioner or the officer authorized by the State Government in this behalf, within 30 days of passing of order under sub-section (5).

उपरोक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90बी एक विशिष्ठ धारा है जिसमें यह प्रावधान किया गया कि खातेदार या उसके द्वारा नामित/अधिकारी व्यक्ति द्वारा ही अपनी खातेदारी आराजीयात को कृषि कार्य से अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन कराया जा सकता है, परन्तु यदि किसी खातेदारी की भूमि का संपरिवर्तन अनाधिकृत रूप से धारा–90बी(5) के तहत कर लिया जाता है तो उस आदेश के विरूद्ध 90बी(7) के अन्तर्गत केवल व्यथित व्यक्ति ही अपील प्रस्तुत कर सकता है, परन्तु अगर धारा 90बी(3) के तहत खातेदारी अधिकारों को समर्पण को स्वीकार कर संपरिवर्तन कराया जाता है तो उस आदेश के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–90बी(7) के तहत अपील लाई नहीं होती है। यहा दुसरे रूप यह भी कहा जा सकता है कि धारा 90बी के अनुसार अनुसार किसी खातेदार ने अपनी भूमि का प्रयोग बिना संपरिवर्तन आदेश के अकृषि कार्य में कर लिया तो जिला कलक्टर या प्राधिकृत अधिकारी धारा 90बी(1) के तहत कार्यवाही करते हुए धारा 90बी(2) के तहत उस व्यक्ति को नोटिस जारी करेंगे और धारा–90बी(5) के तहत खातेदारी अधिकार रिज्युम हो जायेंगे। अगर धारा 90बी(5) के तहत कोई आदेश या निर्णय पारित किया जाता है तो उसके विरूद्ध अपील धारा 90बी(7) के तहत संभागीय आयुक्त न्यायालय में किया जाना प्रावधित है। लेकिन अगर खातेदार द्वारा स्वयं अपनी भूमि का सर्मपण किया जाकर उप धारा (3) के तहत यदि प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा तो ऐसे मामलों में की गई कार्यवाही के विरूद्ध कोई अपील संधारण योग्य नहीं है और यह आदेश अंतिम होता हैं।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा दिनांक 23.06.2010 को जो पुनर्ग्रहण आदेश धारा 90बी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत पारित किया गया था वह विवादित भूमि से सम्बन्धित है और उक्त आदेश के तहत खातेदार ने भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किये एवं इनके अनुसार भूमि का राज्यहित में समर्पण किया गया। चूंकि इस प्रकरण में धारा 90बी(3) के तहत खातेदार द्वारा अपनी भूमि राज्यहित में समर्पण की गई, अतः उपरोक्त प्रावधानों की परिपेक्ष्य में अपील संधारण होने पर प्रश्नचिन्ह उत्पन्न होता है। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित ऐसे आदेश के विरूद्ध न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मेन्टेनेबल नहीं है। इसी आशय का सिद्वान्त योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या–2 द्वारा उद्वरित न्यायिक दृष्टान्तों में विभिन्न माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित किया गया है।

इस सन्दर्भ में प्रत्यर्थी–2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन किया, जिसमें विभिन्न न्यायालयों द्वारा यह निर्णय किया गया था–

आर.आर.टी. II 2012 पेज 1139 – श्याम सुन्दर बनाम शीला कोठारी, उदयपुर व अन्य

''राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956–धारा 90बी, 90बी(3) व 90बी(7)–अधिकारों का समापन व भू का पुर्नग्रहण–सक्षम अधिकारी ने धारा–90बी(3) के अन्तर्गत आदेश पारित किया – अति. संभागीय आयुक्त के समक्ष अपील पेश की– पोषणीयता– अति. संभागीय आयुक्त ने आदेश अपास्त किया–अपील पोषणीय नहीं थी – अति. संभागीय आयुक्त द्वारा पारित आदेश बिना अधिकारिता के है और अपील को ग्रहण अथवा न्यायनिर्णित, करने की शक्ति नहीं है–निर्णय अपास्त किया।''

उक्त प्रकरण में राजस्व मण्डल द्वारा यह निर्णय किया गया था कि

> "15. In these revision petition, the prime contention raised by the learned Counsel for the petitioner/petitioners is that parties were issued under section 90B of "the Act" by the UIT on the basis of order passed by the competent authority under sub-section (3) of Section 90B of "the Act" but no appeal is provided if order was passed under section 90B(3) of "the Act" before the Divisional Commissioner under sub-section (7) of section 90B of "the Act". As per Section 90B of "the Act", there exist two provisions for termination of rights and resumption of land;
>
> (a) firstly in accordance with sub-section (3) of section 90B, and
>
> (b) secondly under sub-section (5) of Section 90B
>
> Under sub-section (3) of Section 90B of "the Act" the land can be resumed from tenant or the holder of such land or any person duly authorized by him and when it is surrendered before the competent authority, expressing his willingness to surrender his rights in such land with the intention of developing such land for stipulated purposes. Therefore, Competent Authority may resume the said land and can issue

patta in his favour because of the fact that under Section 90B(3), agricultural lands were surrendered for resumption by the tenant suo motu by expressing his willingness, while under sub-section (5) of Section 90B of "the Act" land can be resumed by State Government suo-motu; and against only the order passed under Section 90B(5), appeal is maintainable under section 90B(7) of "the Act" and there is no provision for filing any appeal against the order made under section 90B(3) of "the Act". Hence, the Additional Divisional Commissioner has illegaly entertained the appeal against the order so made by the "Authorised Officer" for resumption of the land under Sub-section (3) of the Section 90B of "the Act".

16. Therefore, on the basis of above discussion, it is abundantly clear that the order passed by the learned Additional Divisional Commissioner is entirely without jurisdiction as he has no power to entertain or ad judicate the appeal filed against the order passed under Section 90B(3) of "the Act".

इस आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील पेश की गई। माननीय उच्च न्यायालय की एकलपीठ द्वारा यह अपील दिनांक 07.08.2012 को खारिज कर दी गई, जिसका निर्णय आर.बी.जे. 2012 पृष्ठ 738 पर प्रकाशित है, जिसके अनुसार–

आर.बी.जे. 2012 पृष्ठ 738 – श्याम सुन्दर बनाम शीला कोठारी, उदयपुर व अन्य – राजस्थान उच्च न्यायालय

"**Rajasthan Land Revenue Act, 1956 – Section 90B – Order passed under sub-section (7) is not appealable. But aggrieved person can prefer an appeal before the Divisional Commissioner against the order passed under sub-section (5).** A bare perusal of section (7) of sction 90B reveals that only the person aggrieved by an order passed under sub-section (5) of Section 90B may appeal to the Divisional Commissioner or the Officer authorized by the State Government in this behalf within 30 days of passing of the order. The order passed under sub-section (3) of Section 90B is not made appealable. Needless to say that the right to appeal is a statutory right and no person can claim it as a matter of right if not provided under the relevant statute. The parties cannot confer jurisdiction upon the authority to entertain the appeal de hors the provisions of the statute. Thus the order passed by the Additional Divisional Commissioner while ascertaining the appeal illegally is ex facie without jurisdiction and therefore, the same has rightly been set aside by the Board of Revenue – **Writ Petition dismissed**."

माननीय उच्च न्यायालय की उक्त एकलपीठ के आदेश के विरूद्ध स्पेशल अपील माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में प्रस्तुत हुई जो दिनांक 02.02.2013 को निरस्त कर दी तथा राजस्व मण्डल एव माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एकलपीठ के निर्णय को यथावत रखा गया।

अभी वर्तमान में **माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान द्वारा परफेक्ट फ्युचर डवलपर्स प्रा.लि. बनाम प्राधिकृत अधिकारी में निगरानी संख्या–6935/2016/उदयपुर में निर्णय दिनांक 22.08.2019** को पारित किया कि

''राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–90बी के तहत कार्यवाही उपधारा 3 व 5 के अन्तर्गत होती है। उपधारा 5 के तहत जो कार्यवाही होती है उसका सम्बन्ध धारा 90बी के उपधारा 1 से है। यदि धारा 1 के अन्तर्गत किसी व्यक्ति के खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाकर उस भूमि को पुर्नग्रहित किया जाता है तो पीड़ित पक्षकार धारा 90बी की उपधारा–7 के अन्तर्गत संभागीय आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है किन्त यदि उपधारा 3 के अधीन कोई काश्तकार खातेदार प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करता है तो ऐसे मामले में की जानी वाली कार्यवाही एवं आदेश के विरूद्ध कोई अपील मेन्टेनेबल नहीं होती है। हस्तगत प्रकरण में विवादित आराजी के खातेदार ने प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष अपनी खातेदारी भूमि को समर्पित कर अपनी कृषि भूमि के भूखण्ड को आवासीय में परिवर्तन कराने हेतु धारा 90बी की उपधारा 3 के तहत नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर को आवेदन किया, जिस पर प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव नगर विकास प्रन्यास उदयपुर नें पुर्नग्रहण आदेश पारित किये है। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित ऐसे आदेश के विरूद्ध संभागीय आयुक्त, उदयपुर के न्यायालय में अप्रार्थी संख्या–3 द्वारा प्रस्तुत अपील मेन्टेनेबल ही नहीं थी। इसी आशय का सिद्धान्त योग्य अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टांतों में विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में उल्लेखनीय है कि राजस्व मण्डल की माननीय एकलपीठ द्वारा निगरानी संख्या 3424/2012 में पारित आदेश दिनांक 26.08.2015 से अधीनस्थ न्यायालय को उभयपक्ष को सुनकर क्षेत्राधिकार का बिन्दू तय करने के निर्देश प्रदान किये थे, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्देशों की अनुपालना किये बिना निगराधीन निर्णय पारित कर दिया। उक्त के परिपेक्ष्य में संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा निगरानी प्रकरण में पारित निगराधीन निर्णय क्षेत्राधिकारविहिन होने से निरस्त किये जाने योग्य है।''

सभी न्यायिक दृष्टान्तों में यह तय किया गया तथा इन सब में माना गया कि धारा–90बी(3) खातेदारी अधिकारों के सर्मपण स्वीकार कर अन्तर्गत धारा 90बी का आदेश दिया जाता है, उस आदेश के विरूद्ध अपील संधारण योग्य नहीं होती है। इससे स्पष्ट है कि न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर में यहा धारा–90बी(3) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.06.2010 के विरूद्ध अपील संधारण योग्य नहीं है।

जहॉ तक न्यायालय हाजा समक्ष अपील मियाद बाहर प्रस्तुत करने का प्रश्न है, मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अपीलार्थी तहसीलदार, गिर्वा ने अंकित किया है कि माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा लोकहित याचिका संख्या–1536/2004 में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 में प्रदत्त निर्देशों एवं राजस्व विभाग के अपील पेश करने के निर्देशों के क्रम में अभिलेखों की छानबीन करने पर दिनांक 25.01.2016 को होने से जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत की है। अपीलार्थी के उपरोक्त कथन

स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि समाचार पत्रों में प्रकाशन उपरान्त तहसीलदार, गिर्वा के कथनोनुसार जल संसाधन विभाग से तकनीकी रिपोर्ट प्राप्त कर आलौच्य आदेश दिनांक 23.06.2010 पारित किया गया। उक्त आदेश दिनांक 23.06.2010 की प्रति तहसीलदार, गिर्वा को नामान्तरकरण खोलने हेतु प्रेषित की गई। नामान्तरकरण सन् 2010 में नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के पक्ष में तहसीलदार, गिर्वा द्वारा ही तस्दीक किया गया। अपील के साथ मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा लोकहित याचिका संख्या–1536/2004 में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 में प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में रेकार्ड की छान–बीन कर उक्त आदेश की जानकारी में आना तथ्य सही नहीं है क्योंकि उक्त निर्णय दिनांक 02.08.2004 तो तहसीलदार, गिर्वा द्वारा सन् 2010 में नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व पारित हो चुका है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी को आलौच्य आदेश की जानकारी नहीं थी। साथ ही यह विवादित भूमि उक्त निर्णय से प्रभावित होती तो उसी समय उनके द्वारा कार्यवाही कर यह तथ्य उच्चाधिकारियों के ध्यान में लाना चाहिए था अथवा इस सम्बन्ध में प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष अपनी आपत्ति पुनः दर्ज करवाने या उसके सम्बन्ध में अन्य विधिक प्रक्रिया अपनाकर प्राधिकृत अधिकारी के आदेश को निरस्त करवाते, किन्तु तहसीलदार, गिर्वा द्वारा ऐसा कोई कार्य तत्समय नहीं किया गया, इससे यह स्पष्ट हो चुका है कि प्रश्नगत भूमि उक्त निर्णय एवं राज्य सरकार के परिपत्र में वर्णित किसी भी किस्म की नहीं है। शासन/सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई अपील के संदर्भ में प्रक्रियागत तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए विलम्ब के लिए सम्यक दृष्टिकोण रखा जाना न्यायालयों के लिए औचित्यपूर्ण होता है, इस प्रकरण में वस्तुतः वर्ष 2010 में तहसीलदार अपीलान्ट के पूर्ण संज्ञान में आलौच्य/अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित भूमि का वर्ष 2010 में नामान्तरकरण दर्ज कर आदेश का क्रियान्वित किया जा चुका है तो अचानक 7 वर्षों बाद निर्णय की सटीक जानकारी हेतु रेकर्ड से परे जाकर अभिवचन कथन करना/वर्णित करना कदापि औचित्यपूर्ण नहीं है तथा इस प्रकार से 7 वर्षों के बिलम्ब को उपशमन किये जाने के लिए कोई पर्याप्त उचित कारण नहीं है बल्कि इसके विपरित अपीलाधीन प्रकरण की जानकारी अपीलान्ट तहसीलदार को वर्ष 2010 से सुव्यक्त रूप से होकर उसके द्वारा अलौच्य आदेश को क्रियान्वित भी स्वयं किया गया। उपरोक्त विवेचनानुसार ऐसी अपील जिसका प्रस्तुतकर्ता व्यथित पक्षकार नहीं है तथा जो निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं की गई, विधि सम्मत नहीं है।

विलम्ब के उपशमन के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा निम्नांकित निर्णय पारित कि जिसमें पर्याप्त कारण स्पष्ट नहीं करने पर विलम्ब माफ करने में औचित्यता नहीं मानी है।

माननीय उच्चतम न्यायालय – 2013(2) आरआरटी 887 (Amalendu Kumar Bera & Ors vs. State of West Bengal)

परिसीमा अधिनियम, 1963–धारा–5–विलम्ब का शमन–निगरानी पेश करने में एक वर्ष से अधिक का विलम्ब – जिला न्यायाधीश ने विलम्ब माफ किया – औचित्यता – केवल क्योंकि राज्य अपीलान्ट या निगराकार है, विलम्ब शमन नहीं किया जा सकता –

पर्याप्त कारण स्पष्ट नहीं किया – निगरानी पेश करने में विलम्ब माफ करने में औचित्यता नहीं है– निर्णित, आदेश अपास्त किया।

AIR 2011 Supreme Court 1237 – Union of India & Ors. Vs. Nripen Sarma

Limitation Act (36 of 1963), S.5 – Delay in filing Appeal – Condonation – Appeal was barred by limitation of 114 days – No sufficient cause shown for condoning delay – Appeal liable to be dismissed on ground of delay.

RBJ 2010 P. 289 – Rajasthan High Court – Sukhdev Prasad vs Om Prakash

Indian Limitation Act, 1963 – Section 5 – When there is no sufficient cause shown for non-filing the appeal within time, delay of three days cannot be condoned. This appeal is barred by three days and learned Counsel for the appellant under section 5 of the Limitation Act for codonation of delay. No sufficient cause has been shown in the appellant for non filing appeal within time. Hence, the application under section 5 of the Limitation Act as well as this appeal is hereby dismissed. **Appeal dismissed**.

माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय राजस्थान के उपरोक्त निर्णयों के आलोक में प्रश्नगत प्रकरण में विलम्ब के उपशमन में कोई पर्याप्त कारण प्रस्तुत नहीं किए गए है क्योंकि तहसीलदार गिर्वा द्वारा स्वयं विवादित भूमि के सम्बन्ध में नामान्तरकरण स्वीकृत किया और पुनर्ग्रहण आदेश से पूर्व भी अपनी स्वीकृति प्रदान की, ऐसी स्थिति में आलौच्य आदेश की जानकारी नहीं होना, माना नहीं जा सकता है। दौराने बहस, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या–2 ने इस बिन्दु पर दृढ़ता से आपत्ति की है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा–5 मयाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों को पर्याप्त एवं संतोषप्रद नहीं माना जा सकता है।

प्रश्नगत प्रकरण में जहां तक राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, गिर्वा का व्यथित पक्ष होने का प्रश्न है, यहा यह उल्लेख करना आवश्यक है कि हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार, गिर्वा जिला उदयपुर ने माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा लोकहित याचिका संख्या–1536/2004 में पारित निर्णय एवं राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.12.1999 की अनुपालना में प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा जारी आदेश दिनांक 23.06.2010 के विरूद्ध न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर में अपील प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट दिनांक 12.03.2010 एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजों अनुसार विवादित भूमि की किस्म राजस्व अभिलेखों में कहीं पर भी तालाबी पेटा, नदी अथवा नाला दर्ज नहीं है यद्यपि तहसीलदार, गिर्वा द्वारा उक्त भूमि के डूब क्षेत्र अथवा भराव क्षेत्र के सम्बन्ध तकनीकी रिपोर्ट सिंचाई विभाग से प्राप्त कर संपरिवर्तन के सम्बन्ध में निर्णय किया जाना उचित होने का कथन अभिलिखित किया है। जल संसाधन विभाग के पत्र दिनांक 19.05.2010 की टिप्पणी/रिपोर्ट कि ''आवेदित भूमि की आराजी संख्या–510, 511मी., 512मी., 513, 514 उदयसागर की वर्ष 1973 के उच्च बाढ स्तर से उपर स्थित है। अतः उच्च बाढ स्तर से प्रभावित नहीं है''। जब विवादित आराजीयात सिवाय–चक सरकारी खाते में

दर्ज नहीं थी एवं न ही पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेख यह प्रमाणित होता है कि विवादित भूमि किस्म नदी, तालाब पेटा दर्ज है, अतः अब जबकि राज्य सरकार के हितों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो ऐसी स्थिति में हमारी सुविचारित राय में प्रस्तुत प्रकरण में राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, गिर्वा को व्यथित पक्षकार होना नहीं माना जा सकता है। उपरोक्त परिस्थितियों में तहसीलदार अपीलान्ट को किसी स्थिति में आवश्यक/हितबद्ध/व्यथीत पक्षकार माने जाने में कोई तर्कसंगत, विधिपूर्ण एवं औचित्यपूर्ण आधार नहीं होने से तहसीलदार अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत किये जाने के लिए पक्षकार मानने का कोई आधार नहीं है।

अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या–2 ने दौराने बहस अपीलार्थी के कथन को विबंध के सिद्धान्त से प्रभावित और प्रतिकुल मानते हुए आपत्ति प्रस्तुत की है। ऐसी स्थिति में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा–115 विबधं के सिद्धान्त की विवेचना किया जाना आवश्यक है। धारा–115 अनुसार ''विबन्ध–जबकि एक व्यक्ति ने अपनी घोषणा, कार्य या लोप द्वारा अन्य व्यक्ति को विश्वास साशय कराया है या कर लेने दिया है कि कोई बात सत्य है और ऐसे विश्वास पर कार्य कराया या करने दिया है, तब न तो उसे और न उसके प्रतिनिधि को अपने और ऐसे व्यक्ति के, या उसके प्रतिनिधि के बीच वाद या कार्यवाही में उस बात की सत्यता का प्रत्याख्यान करने दिया जायेगा।'' प्रश्नगत प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि समाचार पत्रों में प्रकाशन उपरान्त तहसीलदार, गिर्वा के कथनोनुसार जल संसाधन विभाग से तकनीकी रिपोर्ट प्राप्त कर आलौच्य आदेश दिनांक 23.06.2010 पारित किया गया। उक्त आदेश दिनांक 23.06.2010 की प्रति तहसीलदार, गिर्वा को नामान्तरकरण खोलने हेतु प्रेषित की गई। नामान्तरकरण सन् 2010 में नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के पक्ष में तहसीलदार, गिर्वा द्वारा ही तस्दीक किया गया। तत्समय् तहसीलदार गिर्वा जिनके द्वारा प्रश्नगत अपील प्रस्तुत की गई, उनके द्वारा स्वीकारोत्ति के रूप में नामान्तरकरण सम्बन्धी कार्यवाही सम्पादित की गई। ऐसी स्थिति में विलम्ब से प्रस्तुत अपील के द्वारा तत्समय की स्वीकारोत्ति और पुनर्ग्रहण आदेश से पूर्व किए गए अपने कथनों और उनकी सत्यता का प्रत्याख्यान नहीं किया जा सकता है। विलेख विबन्ध को यह नियम है कि यदि कोई व्यक्ति किसी तथ्य के बाबत विलेख द्वारा दूसरे व्यक्ति को वचन देता है तब वह व्यक्ति स्वयं या उसके माध्यम से कोई व्यक्ति यदि दावा दायर करता है उसको उन तथ्यों का प्रत्याख्यान नहीं करने दिया जावेगा। (राजेन्द्र राम बनाम देवेन्द्र दास, एआईआर 1973 एससी 268, हबीबुल्लाह बनाम गनेशदास, एआईआर 1934 इलाहबाद 447: 150 आईसी 601: एआईआर 1973 मद्रास 471 में पारित निर्णय में माननीय न्यायालयों द्वारा विलेख विबन्ध के सिद्धान्त को दोहराया और अपना अभिमत दिया है) साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा–115 में अंतर्विष्ट विबंध के नियम में अन्तर्निहित सिद्धान्त यह है कि किसी व्यक्ति को एक ही समय में कोई बात स्वीकार करने और अस्वीकार करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाना चाहिये। धारा–115 बहुत की ठोस सिद्धान्त पर आधारित है। इसका आधार यह है कि किसी व्यक्ति द्वारा किये गये किसी व्यपदेशन के आधार पर किसी व्यक्ति ने कार्य किया है और अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लिया है, इसलिये ऐसी परिस्थितियों में, यह न्यायसंगत नहीं है कि पूर्वकथित को इस अभिवाक् का फायदा उठाने के लिये

अनुज्ञात किया जाए कि उसके द्वारा किया व्यपदेशन मिथ्या था। निष्कर्ष यह है कि साक्ष्य का यह नियम किसी पक्षकार को उस कथन से पीछे हटने से विरत करता है, जो उसने पूर्वतर किया था। (गुलाम नबी बनाम भारत संघ, निर्णय पत्रिका 1975 इलाहाबाद 1 में पारित निर्णय में माननीय न्यायालय द्वारा उक्त सिद्धान्त को दोहराया है।) प्रश्नगत प्रकरण में नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के आलौच्य आदेश जारी करने से पूर्व तहसीलदार, गिर्वा द्वारा स्वीकृति दी गई जिसके क्रम में आदेश उपरान्त नामान्तरकरण की कार्यवाही ओर की गई और जिससे स्थिति में परिवर्तन हो गया। ऐसी स्थिति में तहसीलदार, गिर्वा को विबंध का सिद्धान्त उस कथन से पीछे हटने से विरत करता है, जो उसने पूर्वतर किया था। उपरोक्त विवेचन एवं विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत प्रकरण में अपीलार्थी पर विबंध के सिद्धान्त लागू होते है।

रेस्पोडेंट–2 से प्राप्त प्रारम्भिक आपत्तियों पर उभय पक्ष को सुनने के बाद, रेकर्ड का अवलोकन करने के बाद, मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पंहुचे है कि प्रस्तुत अपील रेस्पाडेंट–2 की प्रारम्भिक आपत्तियों के सम्बन्ध में इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण, मयाद बाहर होने से, अपीलान्ट के व्यथीत/हितबद्ध पक्षकार नहीं होने एवं उसके विबन्धित होने के कारण विधिक रूप से पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज की जाती है।

उक्त निर्णय प्रकरण के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली अथवा अन्य किसी भी न्यायालय में लम्बित प्रकरण में पारित आदेश/निर्देश के अध्यधीन रहेगा।

पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावें। आदेश आज दिनांक 24.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास सीतारामजी भाले)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर